हरिश्चन्द्र बनाम भूमिधारी तहसीलदार सा०

जिस मुकदमा प्रा० पत्र नं० 43 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
5/06/2023	पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 06/07/2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा	
06/07/2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की वाद तामील प्राप्त जो ब्रा०फा० हो। पैरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो पत्रावली में No-objection कर पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नही की तथा पत्थरगढ़ी किये जाने में सहमति व्यक्त की। पत्रावली वास्ते बहस व आदेश प्रार्थना पत्र धारा-128 राजस्व रे. एक्ट दिनांक 18/07/2023 को पेश हो। S.D.O.	No objection T.DR
18/07/2023	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी के प्रा० पत्र धारा-128 रा० रे० एक्ट पर बहस सुनाई। पत्रावली में दाखिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस [illegible] खातेदारी भूमि की [illegible] तथा पैरोकार सरकार के सहमति व्यक्त करने से पत्रावली प्रार्थी का प्रा० पत्र-धारा-128 स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र धारा-128 बाबत् पत्थरगढ़ी का स्वीकार किया गया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:33:40 IST
Reason: SelfAttested

है। पत्थरगढ़ी का आदेश/निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय के रुबरु में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अभिलेख दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:33:40 IST
Reason: SelfAttested